[2019] 2 एस. सी. आर 844

दिगंबर वैष्णव और एएनआर।

वी.

छत्तीसगढ़ राज्य

आपराधिक अपील सं। 428-430 2019 का

05 मार्च, 2019

[ए. के. सिकरी, एस. अब्दुल नजीर और एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 302/34 और 394/34-हत्या और डकैती-अभियोजन

के लिए-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर-अभियोजन बाल गवाह की गवाही पर निर्भर करता है; यू/एस द्वारा वसूली की गई। 27 साक्ष्य अधिनियम; फिंगरप्रिंट रिपोर्ट; एफ. एस. एल. रिपोर्ट; डकैती करने का उद्देश्य और

अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य पर-निचली अदालतों ने दोषी ठहराया

अभियुक्त और उन्हें मौत की सजा सुनाई-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः में

मामले के तथ्य, जिन परिस्थितियों पर अभियोजन पक्ष का मामला आधारित था, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

अपराध की रिपोर्ट करना-अभियोजन पक्ष ने सबसे अच्छे सबूत को रोक दिया है

- मामले की परिस्थिति में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि

याचिकाकर्ताओं ने अपराध किया था।

आपराधिक न्यायशास्त्रः

सबूत का बोझ-आयोजितः सबूत का बोझ पूरी तरह से टिका हुआ है।

अभियोजन पक्ष पर-सामान्य बोझ कभी नहीं बदलता-मजबूत

संदेह, मजबूत संयोग और गंभीर संदेह कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकते हैं-इसके आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है

अनुमान और अनुमान या संदेह-साक्ष्य।

आपराधिक न्याय का प्रशासन-आपराधिक मामलों में, यदि दो

दृश्य संभव हैंः एक दोष की ओर इशारा करता है और दूसरा अभियुक्त की निर्दोषता, अभियुक्त के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए-इस सिद्धांत की मामलों पर आधारित मामलों के लिए विशेष प्रासंगिकता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर।

गवाहः बाल गवाह-विश्वसनीयता-पुष्टि की आवश्यकता -

आयोजित किया गयाः

न्यायालय एक विवेक के रूप में गवाही की पुष्टि चाहता है बाल गवाह-अभ्यास का कोई नियम नहीं है कि हर मामले में साक्ष्य हो।

बाल गवाह की पुष्टि की जानी चाहिए-साक्ष्य की धारा 118

अधिनियम बाल गवाह सहित एक गवाह की क्षमता को नियंत्रित करता है-बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय केवल सावधानी यह है कि

गवाह विश्वसनीय होना चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम, 1872:

एस. 27 - आयोजित होने का क्षेत्रः एस के तहत। 27 यह हर तथ्य की खोज नहीं है जो स्वीकार्य है, बल्कि केवल प्रासंगिक तथ्य की खोज है स्वीकार्य है।

प्रमाणः

परिवेशीय साक्ष्य अंतिम बार देखा गया सिद्धांत-आयोजित पर विश्वासः आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप नहीं बन सकती है।

अभियुक्त को अपराध का दोषी ठहराने का आधार-एक दोषपूर्ण परिस्थिति के रूप में अंतिम रूप से एक साथ देखे जाने वाले कारक का गठन करने के लिए, शव को देखने और बरामद करने के समय के बीच निकटता होनी चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों में से एक निर्विवाद रूप से यह है कि सबूत का बोझ पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और सामान्य बोझ कभी नहीं बदलता है। अनुमानों और अनुमानों या संदेह के आधार पर कोई विश्वास नहीं हो सकता है चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। मजबूत संदेह, मजबूत संयोग और गंभीर संदेह कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकते हैं। अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत प्रबल संदेह का उल्लेख करके नहीं किया जा सकता है और न ही अभियुक्त को आरोपित करने के लिए अत्यधिक संदिग्ध कारकों का अस्तित्व और न ही बचाव पक्ष की असत्यता सबूत का स्थान ले सकती है जिसे अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना पड़ता है, हालांकि बचाव पक्ष द्वारा एक झूठी याचिका को एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जाता है, यदि अन्य

परिस्थितियाँ अचूक रूप से अपराध की ओर इशारा करती हैं। [पैरा 15] [854-ई, एफ]

जहरलाल दास बनाम। उड़ीसा राज्य (1991) 3 एस. सी. सी. 27: [1991] 2 एस. सी. आर. 298; वर्की जोसेफ बनाम। केरल राज्य 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 745: [1993] 3 एस. सी. आर. 390; सुजीत विश्वास बनाम। असम राज्य (2013) 12 एससीसी 406: [2013] 3 एससीआर 830

पर भरोसा किया।

2. यह भी एक सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मामलों में, यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो एक अभियुक्त के अपराध के लिए बाध्यकारी और दूसरा उसके [2019] 2 एस. सी. आर. के लिए है।

निर्दोषता, वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के पक्ष में हो, अपनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की उन मामलों में विशेष प्रासंगिकता है जिनमें अभियुक्त के अपराध को परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है। [पैरा 19] [856-सी, डी]

काली राम बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (1973) 2 एस. सी. सी. 808 [1974] 1 एस. सी. आर. 722-पर निर्भर

3.1 साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 व्यक्तियों की गवाही देने की क्षमता को नियंत्रित करती है जिसमें एक बाल गवाह भी शामिल है।

बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता निर्भर कर सकती है।

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर। अभ्यास का कोई नियम नहीं है कि हर मामले में एक बाल गवाह का साक्ष्य है

दोषसिद्धि से पहले अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए

अदालत को खड़े होने की अनुमति है, लेकिन एक विवेक के रूप में, रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि करना हमेशा वांछनीय लगता है। केवल एहतियात जो अदालत को साक्ष्य का आकलन करते समय ध्यान में रखनी होती है

बाल गवाह का कहना है कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए।

[पैरा 21] [856-ई-एच]

3.2 बाल गवाह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जैसा कि बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित हो सकता है और वह शिक्षण के लिए एक आसान शिकार है। इसलिए, एक बाल गवाह का साक्ष्य

इस पर भरोसा करने से पहले पर्याप्त पुष्टि की जानी चाहिए। यह. कानून की तुलना में व्यावहारिक ज्ञान का नियम अधिक है। [पैरा 22] [857-ए, बी]

3.3 पीडब्लू-8 की गवाही से यह स्पष्ट है कि वह घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है। उनकी आयु लगभग 9 वर्ष थी।

घटना का समय। उसके साक्ष्य विसंगतियों से भरे हुए हैं।

अन्य गवाहों में से किसी ने भी अपीलार्थी की पहचान नहीं की है। इसलिए, पीडब्लू-8 की गवाही पर भारी निर्भरता रखी गई।

उसने पहली बार घटना के बारे में खुलासा करते हुए पीडब्लू-1 को अपीलार्थियों के बारे में नहीं बताया। यह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से परिलक्षित होता है। द. पीडब्लू-8 की गवाही पीडब्लू 1,3 और 10 की गवाही के विपरीत है। ऐसी परिस्थितियों में, पीडब्लू-8 के कहने पर अपीलार्थियों

की अप्रमाणित पहचान पर भरोसा करना जोखिम भरा है। [पारस 24,25,26 और 27] [857-जी, एच; 858-ए-डी] दिगंबर वैष्णव और ए. एन. आर।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य 3.4 पीडब्लू-8 ने पीडब्लू-1 को अपीलार्थियों की पहचान नहीं बताई है। इसलिए अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई

लोग। उसके साक्ष्य में भी विसंगतियां हैं। इस तथ्य से कि उस दिन घर में मौजूद अन्य बच्चों की जांच नहीं की गई थी। जब पीडब्लू-8 ने मृतक और अपीलार्थियों को 16.12.2012 पर एक साथ देखा था और जब मृतक 17.12.2012 पर पाए गए थे, तब से समय का काफी नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि अपीलार्थियों ने अपराध किया था। [पैरा 43] [862-एफ-एच; 863-ए]

पंची और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 एस. सी. सी. 177: [1998] 1 पूरक। एससीआर 40; यू. पी. राज्य बनाम अशोक दीक्षित और दूसरा (2000) 3 एस. सी. सी. 70: [2000] 1 एस. सी. आर. 855; राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश (2002) 5 एससीसी 745: [2002] 3 एस. सी. आर. 753; अलगुपंडी उर्फ अलगुपंडियन बनाम। तमिलनाडु राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 451: [2012] 4 एस. सी. आर. 342-पर निर्भर।

4. अपराध की सूचना देने में अस्पष्टीकृत देरी हुई। पीडब्लू-8 ने अपने बयान में कहा है कि जब वह सुबह उठी तो उसके कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। जब वह चिल्लाया अंदर से 'ए' ने दरवाजा खोला। यह संस्करण आगे है

पीडब्लू-10 द्वारा पुष्टि की गई। हालांकि, 'ए' ने सुबह लगभग 3 बजे दरवाजा खोला था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पीडब्लू-8 ने शाम 4 बजे तक किसी को सूचित क्यों नहीं किया और पीडब्लू-10 ने भी इसकी सूचना क्यों नहीं दी, भले ही पुलिस स्टेशन लगभग छह किलोमीटर की दूरी पर था। यह पीडब्लू-8 के कथन की सत्यता पर भी सवाल उठाता है। [पैरा 28] [858-ई, एफ]

5.1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत, यह हर तथ्य की खोज नहीं है जो स्वीकार्य है, बल्कि केवल प्रासंगिक तथ्य ही स्वीकार्य है। यथार्थता अपराध के साथ खोजे गए तथ्यों के बीच संबंध या कड़ी के अलावा और कुछ नहीं है। अपीलार्थियों के खिलाफ एक परिस्थिति के रूप में मोटरसाइकिल की बरामदगी पर भरोसा करने की कोशिश की जाती है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी संख्या 1 के कहने पर बरामद मोटरसाइकिल उसकी है। पीडब्लू-13, आई. ओ., अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि अपीलार्थी नंबर 1 मोटरसाइकिल का मालिक है या नहीं। वह आगे स्वीकार करता है कि उसके द्वारा मालिक के बारे में पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

वाहन। [पैरा 29] [858-जी, एच; 859-ए, बी] [2019] 2 एस. सी. आर.

5.2 पीडब्लू-2 मोटरसाइकिल की जब्ती का गवाह था।

उनके अनुसार, मोटरसाइकिल लाल रंग की थी। हालांकि, जब्ती ज्ञापन के अनुसार, बरामद मोटरसाइकिल काले रंग की थी। इससे मोटरसाइकिल की वसूली अविश्वसनीय हो जाती है। पीडब्लू 4 और 5 की गवाही भी अविश्वसनीय है क्योंकि यह विरोधाभासी है। पीडब्लू-10। पीडब्लू 10 मोटरसाइकिल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं करता है। पीडब्लू 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। यह प्रासंगिक है कि

दो महीने से अधिक की देरी। [पैरा 30 और 31] [859-बी, सी, ई] 5.3 अपीलार्थियों के कहने पर बरामद की गई चांदी की पट्टी कथित तौर पर मृतकों में से एक की थी।

हालांकि, कोई भी गवाह चांदी की पट्टी की पहचान नहीं करता है जो उससे संबंधित है।

मृतकों में से कोई भी। पीडब्लू-2 का कहना है कि "जिस प्रकार की पायल जब्त की गई थी" वह बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए, जब्त किए गए पायल की किसी भी पहचान के अभाव में, इसकी बरामदगी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू-2 का साक्ष्य, जो गवाह है

जब्ती ज्ञापन, अभिलेख पर लाए गए ज्ञापनों के विपरीत है।

[पैरा 32] [859-एफ, जी]

5.4 मृतक के पास नकदी नहीं मिली है क्योंकि जिस डिब्बे से कथित तौर पर सामान चोरी हुआ था, वह नहीं मिला है।

5.5 अपीलार्थी नं. 2 की कमीज साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके बयान के अनुसरण में उससे बरामद की गई। कथित तौर पर अपराध स्थल पर पाए गए छोटे से टूटे हुए बटन से मिलान किया जाता है। इसकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए एक अन्य परिस्थिति के रूप में निचली अदालतों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है

अपराध स्थल पर अपीलार्थी। हालाँकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि शर्ट अद्वितीय है और इसका मिलान नहीं किया जा सकता है।

किसी अन्य व्यक्ति की शर्ट के साथ। पीडब्लू-13 ने अपनी गवाही में स्वीकार किया है कि इसी तरह की शर्ट बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में इसे निर्णायक रूप से दिगंबर वैष्णव और ए. एन. आर. साबित नहीं किया जा सकता है।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य

कि शर्ट किसी भी तरह से 'अपीलकर्ता' शर्ट के लिए अद्वितीय हैं

बाकी सभी का बहिष्कार। इसलिए, किसी भी अद्वितीय बनावट के अभाव में शर्ट के विश्लेषण के साथ रखी गई निर्भरता अनुचित है। [पैरा 37] [861-ए-सी]

6. गवाही की पुष्टि करने के लिए पीडब्लू-9 पर भरोसा किया गया है।

बच्चे का गवाह। अपीलार्थियों की उपस्थिति दिखाने के लिए

घर। पीडब्लू 9 ने केवल एक टेलीफोन कॉल के आधार पर बयान दिया था।

वह आरोपी का नाम नहीं जानता है। उसने अपीलार्थियों-अभियुक्तों को घर में आते नहीं देखा है। इसलिये उनका अपीलार्थी को अपराध स्थल पर रखने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। [पैरा 35] [860-ई]

7.1 सबसे अच्छा सबूत जो विचाराधीन विवाद पर प्रकाश डालता, उसे रोक दिया गया है। ए 'नहीं हुआ है

अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच की गई और इस विसंगति को समझाने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं। परस्पर विरोधी बयानों पर विचार करना

घटना के समय घर में मौजूद थे। कोई प्रयास नहीं उनकी भी जांच कराई गई है। [पैरा 34] [860-सी, डी]

7.2 विशेषज्ञ, जिन्होंने घटना स्थल पर वस्तुओं की जांच की और कुछ उंगलियों के निशान पाए, उनकी जांच नहीं की गई है। जिस व्यक्ति ने उंगली के निशान का नमूना लिया है, वह नहीं है

जाँच की गई। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उंगलियों के निशान विकसित करने के बाद वस्तुओं को घटनास्थल पर क्यों छोड़ दिया गया और उन्हें उसी दिन जब्त करके विश्लेषण के लिए क्यों नहीं भेजा गया। इसके अलावा, डकैती की पुष्टि करने के लिए दरवाजों या स्टील की अलमारी पर कोई निशान नहीं मिला है। विशेषज्ञ की परीक्षा है

विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि अपीलार्थी के अपराध पर संदेह करने के लिए फिंगर प्रिंट रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता है। पीडब्लू-12, पंच गवाह

बोतलों की जब्ती में कहा गया है कि बोतल "आंगन के दरवाजे के पास पड़ी थी जिसे जब्त कर लिया गया था।" इससे प्रिंट उठाने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। [पैरा 36] [860-एफ-एच] [2019] 2 एस. सी. आर.

8. साबित करने के लिए अपीलार्थियों के खिलाफ फोरेंसिक साक्ष्य

अपराध स्थल पर उनकी उपस्थिति अपर्याप्त है। निष्कर्ष

बाल विश्लेषण भी अनिर्णायक हैं। रिपोर्ट ने केवल मानव बालों के लिए नमूने का निष्कर्ष निकाला। यही अपीलार्थियों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

[पैरा 38] [861-सी, डी]

10. अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर भरोसा किया है कि आरोपी और पीड़ितों को आखिरी बार एक साथ देखा गया था। अंतिम बार एक साथ देखी गई परिस्थिति अपने आप में अभियुक्त को अपराध का दोषी ठहराने का आधार नहीं बन सकती है। यदि कोई विश्वसनीय सबूत है कि पीड़ितों की मृत्यु से ठीक पहले या तुरंत पहले, उन्हें आखिरी बार आरोपी के साथ घटना स्थल पर या उसके पास देखा गया था, तो संदेह की सुई निश्चित रूप से आरोपी को दोषी होने की ओर इशारा करेगी और यह उन मजबूत कारकों या परिस्थितियों में से एक होगा जो उन्हें पीड़ितों पर कथित अपराध के लिए उकसाते हैं। हालाँकि, यदि अंतिम बार देखा गया साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है या विश्वास के योग्य नहीं है, तो कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। एक दोषपूर्ण परिस्थिति के रूप में अंतिम रूप से देखे गए एक साथ कारक का गठन करने के लिए, मृत शरीर को देखने और बरामद करने के समय के बीच निकटता होनी चाहिए। [पैरा 40] [861-जी, एच; 862-ए]

अर्जुन मारिक और ओआरएस। वी. बिहार राज्य 1994 सप्लीमेंट (2)

एससीसी 372: [1994] 2 एससीआर 265

कन्हैया लाल बनाम। राजस्थान राज्य (2014) 4 एससीसी,

715 : [2014] 3 एस. सी. आर. 744-पर निर्भर।

दिगंबर वैष्णव और एएनआर। वी. छत्तीसगढ़ राज्य

मामला कानून संदर्भ

[1991] 2 एससीआर 298

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1993] 3 एससीआर 390

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

[2013] 3 एससीआर 830

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[1974] 1 एससीआर 722

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[1998] 1 पूरक। एससीआर 40

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2000] 1 एससीआर 855

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2002] 3 एससीआर 753

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[2012] 4 एससीआर 342

उस पर भरोसा करें

पै

रा 22

[1994] 2 एससीआर 265

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[2014] 3 एससीआर 744

उस पर भरोसा करें

पै

रा 42

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 428-430 2019 से।

आपराधिक में 30.04.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की 2014 की संदर्भ संख्या 3,2014 की आपराधिक अपील संख्या 536 और 2014 की आपराधिक अपील संख्या 537।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, हिमांशु अग्रवाल, सुश्री अंकिता एस.,

आयुष राज सिंह, वीरपन पी. और सुश्री प्योली, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अतुल झा, संदीप झा और धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्ता। , के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन अपीलों को दिगंबर वैष्णव ने प्राथमिकता दी है।

और गिरधारी वैष्णव ने 2014 के आपराधिक संदर्भ संख्या 3 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के फैसले और आदेश को चुनौती दी, जिसमें सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार द्वारा दी

गई मौत की सजा की पुष्टि की गई और आपराधिक अपील संख्या को खारिज कर दिया गया। 536 सत्र न्यायाधीश के उपरोक्त निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए उनके द्वारा दायर 2014 की धारा और 2014 की धारा 537।

3. अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह है कि शिकायतकर्ता, बद्रीदास

वैष्णव खापरीडीह गाँव में रहते हैं। वे एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। भुनेश्वर उनके भाई थे। दोनों अलग-अलग मोहल्लों में रह रहे थे। भुनेश्वर दास की दो पत्नियाँ थीं, श्री बाई और सुभद्रा बाई। श्री बाई से, भुनेश्वर की सात बेटियाँ थीं। सुभद्रा बाई से उनके पास पाँच [2019] 2 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक बेटी और एक बेटा। भुनेश्वर दास का दो साल पहले निधन हो गया था। घर में श्री बाई और सुभद्रा के अलावा माला, कोंडी, चांदनी, नंदिनी, शारदा और बेटा गोविंदा रह रहे थे।

5. शिकायतकर्ता ने गिधौरी पुलिस चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-6) दर्ज की गई थी, जिसे अपराध में प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया था। No.430/12 बिलाईगढ़ पुलिस स्टेशन में। सुभद्रा बाई, श्री बाई, कोंडी, माला बाई और अम्रिका बाई की मार्ग सूचनाएँ दर्ज की गईं।

बद्रीदास द्वारा दी गई जानकारी। मृतक के शव की जांच के लिए गवाहों को बुलाया गया था। गवाहों की उपस्थिति में मृतक का पंचनामा तैयार किया गया था। डॉक्टर साहब। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सभी मृतकों की मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना था और मौतें हत्या की प्रकृति की थीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद सभी मृतकों के शव उनके रिश्तेदार बद्रीदास को दाह संस्कार के लिए सौंप दिए गए।

6. जाँच अधिकारी ने गवाहों की उपस्थिति में घटना स्थल का नक्शा बनाया। पुलिस ने सोने की बोतल जब्त की

गोवा व्हिस्की (कांच से बनी) और एक प्लास्टिक की मशाल जो घटना स्थल पर पड़ी थी। मृतक कोंडी के दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच फंसे काले बालों के छह धागे, शवों के बीच पड़े दो सफेद रंग के बटन, खून से लथपथ मिट्टी, सादे मिट्टी और एक ऊनी शॉल भी घटना स्थल से जब्त की गई। पुलिस ने अपीलार्थी नं. 1 द्वारा पहनी गई एक कमीज भी जब्त की। अभियुक्त दिगंबर का ज्ञापन बयान उसके आदेश के अनुसार दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि उसने मोटरसाइकिल गिरधारी के घर पर रखी है और Rs.3000/- और

पायल (जोड़ी पट्टी) उनके घर में रखी गई थी। दिगंबर की पतलून की जेब से निकालने के बाद Rs.3000/- और पायल की राशि जब्त की गई। अभियुक्त गिरधारी का ज्ञापन बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने कहा था कि उसने अपने दिगंबर वैष्णव और ए. एन. आर. में कैरी बैग में Rs.2600/- और जोड़ी पट्टी छिपा रखी है।

घर। प्लास्टिक कैरी बैग में रखी नकदी और एक जोड़ी पट्टी का उत्पादन किया जाता था। अभियुक्त गिरधारी द्वारा उसके घर के अंदर से जिसे जब्त कर लिया गया था। आरोपी दिगंबर द्वारा पहनी गई शर्ट को हटा दिया गया और जब्त कर लिया गया और आरोपी गिरधारी से दो गायब बटनों के साथ एक सफेद रंग की शर्ट जब्त की गई। अभियुक्त दिगंबर और गिरधारी के (सिर के) बाल और अभियुक्त के (सिर के) बाल लेने के लिए सहमति पंचनामा तैयार किया गया था।

जब्त कर लिए गए। जब्त की गई वस्तुओं को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। 7. घटना स्थल से जब्त शराब की बोतल पर उंगलियों के निशान की जांच के लिए फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ को एक आवेदन दिया गया था।

पुलिस मुख्यालय (फिंगर प्रिंट) की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार गोल्डन गोवा व्हिस्की की बोतल पर आरोपी दिगंबर की उंगलियों के निशान पाए गए थे। अपीलार्थियों की शर्ट के बटन और घटना स्थल से जब्त किए गए बटनों के बारे में एफ. एस. एल. रिपोर्ट भी प्राप्त हुई थी जिसमें दो बटन और धागे समान बताए गए थे।

8. पुलिस ने पीडब्लू-1, बद्रीदास, शीतल दास, श्रीमती का बयान दर्ज किया। शांति बाई, कुमारी चांदनी, पीडब्लू-8, अनीता बाई और दान बाई, सोहंदास, पीडब्लू-9 Cr.P.C की धारा 161 के तहत।

10. सत्र न्यायालय अपने दिनांक 14.05.2014 के फैसले से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन सफलतापूर्वक संदेह से परे साबित हुआ है। कि अपीलकर्ताओं ने मृतक व्यक्तियों के घर में लूटपाट की है और सभी पाँच महिलाओं की हत्या कर दी है। प्रत्येक अपीलार्थी को दस साल के लिए आर. आई. और Rs.500/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, उन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 394 के तहत अपराध के लिए एक महीने के आर. आई. से गुजरना होगा। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई और आदेश दिया गया कि उन्हें मौत तक फांसी दी जाएगी।

11. Cr.P.C की धारा 366 (1) के तहत मृत्यु संदर्भ पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया था। अपीलकर्ताओं को वरीयता दी गई

उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपील। जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च

न्यायालय ने अपने दिनांकित 30.04.2015 के निर्णय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. अपीलार्थियों की ओर से पेश होते हुए श्री. विद्वान वरिष्ठ वकील एस. नागमुथु ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि इसमें एक अस्पष्टीकृत देरी हुई थी।

मोटरसाइकिल भी अविश्वसनीय है और बरामद की गई वस्तुएं अपराध से जुड़ी नहीं हैं। पीडब्लू-9 की गवाही सुनी सुनाई है और अभियोजन पक्ष द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। फिंगर प्रिंट रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अंत में, वह प्रस्तुत करता है कि अंतिम बार देखे गए साक्ष्य अपराध को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त हैं। 13. दूसरी ओर, एस। प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील अतुल झा ने निचली अदालतों के फैसले का समर्थन किया है। वह अपीलों को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

14. हमने बार में किए गए विद्वान वकील की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है। 15. आपराधिक न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक निर्विवाद रूप से यह है कि सबूत का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है।

और यह कि सामान्य बोझ कभी नहीं बदलता है। अनुमानों और अनुमानों या संदेह के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो। हो सकता है। मजबूत संदेह, मजबूत संयोग और गंभीर संदेह कानूनी प्रमाण की जगह नहीं ले सकते हैं। अभियोजन पक्ष के दायित्व का निर्वहन बहुत प्रबल संदेह का उल्लेख करके नहीं किया जा सकता है और न ही अभियुक्त को आरोपित करने के लिए अत्यधिक संदिग्ध कारकों का अस्तित्व और न ही बचाव पक्ष की असत्यता सबूत का स्थान ले सकती है जिसे अभियोजन पक्ष को सफल होने के लिए स्थापित करना पड़ता है, हालांकि बचाव पक्ष द्वारा एक झूठी याचिका को एक अतिरिक्त परिस्थिति के रूप में माना जा सकता है, यदि अन्य परिस्थितियां अपराध की ओर इशारा करती हैं।

16. यह न्यायालय जहरलाल दास बनाम। उड़ीसा राज्य, (1991) 3 एस. सी. सी. 27 ने अभिनिर्धारित किया है कि भले ही अपराध एक चौंकाने वाला अपराध हो, लेकिन अपराध की गंभीरता

जहाँ तक कानूनी प्रमाण का संबंध है, अपराध अपने आप में अधिक भारी नहीं हो सकता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर अत्यधिक निर्भर मामलों में, वहाँ है

हमेशा एक खतरा है कि अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान ले सकता है। अदालत को सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमान और संदेह कानूनी सबूत की जगह न लें।

अदालत को डी. जी. ए. एम. बी. आर. वैष्णव और ए. एन. आर. होना चाहिए। वी. छत्तीसगढ़ राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

स्वयं को संतुष्ट करें कि साक्ष्य की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और यह कि पूरी की गई श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोष होने की उचित संभावना को खारिज किया जा सके। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाया जाता है

i.)

खींचे जाने के लिए, दृढ़ता से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;) उन परिस्थितियों की प्रवृत्ति निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इंगित करने वाली होनी चाहिए; और

iii.)

संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनाना चाहिए

इतना पूर्ण कि निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है

कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं, और यह अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण देने में भी असमर्थ होना चाहिए।
अभियुक्त का।

17. वर्की जोसेफ बनाम। केरल राज्य, 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 745, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संदेह सबूत का विकल्प नहीं है।

'सच हो सकता है' और 'सच होना चाहिए' के बीच एक लंबी दूरी है और अभियोजन पक्ष को अपने मामले को साबित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। उचित संदेह।

18. सुजीत विश्वास बनाम। असम राज्य, (2013) 12 एस. सी. सी. 406, इस न्यायालय ने 'उचित से परे सबूत' के बीच अंतर की जांच करते हुए

संदेह 'और' संदेह 'निम्नानुसार हैः

अभियोजन पक्ष, एक अभियुक्त के दोषी के रूप में दोषी ठहराए जाने से पहले, और मूल और सुनहरे नियम को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, "सच हो सकता है" और "सच होना चाहिए" के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए, अदालत को [2019] 2 एस. सी. आर. के बीच महत्वपूर्ण दूरी बनाए रखनी चाहिए।

केवल अनुमानों और निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए, निष्पक्ष न्यायिक जांच की कसौटी पर, एक पूर्ण आधार पर

और मामले की सभी विशेषताओं की व्यापक सराहना, जैसे

साथ ही अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की गुणवत्ता और विश्वसनीयता। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय की विफलता से बचा जाए, और यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियां ऐसी मांग करती हैं, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि एक उचित संदेह एक काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संदेह नहीं है। संभावित संदेह, लेकिन एक उचित संदेह जो कारण पर आधारित है और

सामान्य ज्ञान "।

19. यह भी अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मामलों में, यदि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो एक के लिए बाध्यकारी अभियुक्त का अपराध और दूसरा उसकी निर्दोषता के लिए है, जो दृष्टिकोण अभियुक्त के लिए अनुकूल है, उसे अपनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत की उन मामलों में विशेष प्रासंगिकता है जिनमें अभियुक्त का अपराध माना जाता है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित [काली राम बनाम देखें। हिमाचल प्रदेश राज्य (1973) 2 एस. सी. सी. 808]।

20. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अब हम पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करेंगे। यह स्थापित करने के लिए कि अभियुक्तों ने अपराध किया है, अभियोजन पक्ष ने (i) बाल गवाह कुमारी चांदनी (पीडब्लू8) की गवाही पर भरोसा किया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई बरामदगी; (iii) फिंगरप्रिंट रिपोर्ट; (iv) एफएसएल रिपोर्ट; (v) डकैती करने का उद्देश्य; और (vi) आखिरी बार एक साथ देखे गए साक्ष्य।

21. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से बाल गवाह चांदनी की गवाही पर निर्भर है, जिससे पीडब्लू-8 के रूप में पूछताछ की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 व्यक्तियों की क्षमता को नियंत्रित करती है -

गवाही जिसमें एक बाल गवाह भी शामिल है। बाल गवाह का साक्ष्य और इसकी विश्वसनीयता तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कर सकती है हर मामले में। व्यवहार का कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में एक बाल गवाह के साक्ष्य को अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए, इससे पहले कि एक दोषसिद्धि की अनुमति दी जा सके, लेकिन एक विवेक के रूप में, अदालत हमेशा रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य से इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि करना वांछनीय समझती है। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय अदालत को केवल इस सावधानी को ध्यान में रखना होगा कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए।

दिगंबर वैष्णव और एएनआर। वी. छत्तीसगढ़ राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

22. इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि बाल गवाह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों की बातों से प्रभावित हो सकता है।

उसे बताएँ और वह शिक्षण का एक आसान शिकार है। इसलिए, एक बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। यह कानून से अधिक व्यावहारिक ज्ञान का नियम है। [पंची को देखें और

अन्य वी। उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एस. सी. सी. 177, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। अशोक दीक्षित और दूसरा, (2000) 3 एस. सी. सी. 70, और राजस्थान राज्य बनाम। ओम प्रकाश (2002) 5 एस. सी. सी. 745]।

23. अलगुपंडी उर्फ अलगुपंडियन बनाम। तमिलनाडु राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 451, इस न्यायालय ने एक बच्चे की गवाही पर कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त पुष्टि के बाद सावधानी के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह माना गया था किः

" 36. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक बाल गवाह एक सक्षम गवाह हो सकता है बशर्ते कि ऐसे गवाह का बयान विश्वसनीय, सच्चा हो और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई हो। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय सुरक्षित रूप से बाल गवाह के बयान पर भरोसा कर सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार भी बन सकता है। इसके अलावा, एक बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय अदालत को केवल यह सावधानी बरतनी चाहिए कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए और उसका व्यवहार किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और उसे पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा कोई नियम या प्रथा नहीं है कि प्रत्येक मामले में ऐसे गवाह के साक्ष्य की पुष्टि अन्य साक्ष्य द्वारा की जाए, इससे पहले कि दोषसिद्धि की अनुमति दी जा सके, लेकिन विवेक के नियम के रूप में अदालत हमेशा इस तरह के साक्ष्य की पुष्टि की मांग करना वांछनीय समझती है।

अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्य। इसके अलावा, यह कानून नहीं है कि यदि कोई गवाह बच्चा है, तो उसका साक्ष्य अस्वीकार कर दिया जाएगा, भले ही वह

विश्वसनीय पाया जाता है। "

24. पीडब्लू-8 की गवाही से यह स्पष्ट है कि वह घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है। घटना के समय उसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी। उसके साक्ष्य विसंगतियों से भरे हुए हैं। अन्य गवाहों में से किसी ने भी अपीलार्थी की पहचान नहीं की है। इसलिए, पीडब्लू-8 की गवाही पर भारी निर्भरता रखी गई। उसने पहली बार घटना के बारे में खुलासा करते हुए पीडब्लू-1, बद्रीदास को अपीलार्थियों के बारे में नहीं बताया। यह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से परिलक्षित होता है। ऐसी परिस्थितियों में, अप्रमाणित [2019] 2 एस. सी. आर. पर भरोसा करना जोखिम भरा है।

पीडब्लू-8 के कहने पर अपीलार्थियों की पहचान, जिन्होंने पीडब्लू-1 बद्रीदास के समक्ष पहली बार अपीलार्थियों के बारे में खुलासा नहीं किया है। 25. पीडब्लू-1 की पत्नी शांति बाई, पीडब्लू-3 ने कहा है कि पीडब्लू-8 ने उन्हें सूचित किया कि उनकी माँ काम पर गई थीं। यह सीधे विरोधाभास में है

तथ्य यह है कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, वह मृत पड़ी थी। चांदनी स्वयं बताती है कि सुबह उसने अपनी दादी को मृत देखा। इसके अलावा, एफ़. आई. आर. में बद्रीदास को यह कहते हुए दर्ज किया गया है कि चांदनी ने उसे बताया कि सुभद्रा बाई अपने कमरे में मृत पड़ी है।

26. पीडब्लू-8 की गवाही भी पीडब्लू-10 की गवाही के विपरीत है। पीडब्लू-10 बताता है कि वह और अनीता उसके घर गए थे।

मृतक की मृत्यु सुबह 3 बजे हुई थी और उसने मृतक के शव और बच्चों को भी देखा था। लेकिन, पीडब्लू-8 बताती है कि वह सुबह 7 बजे उठी और टेकराम (अनीता) की उस पत्नी ने दरवाजा खोला।

27. पीडब्लू-8 की गवाही भी पीडब्लू-1, बद्रीदास की गवाही के विपरीत है। पीडब्लू-1 के अनुसार, चांदनी ने उन्हें घटना के बारे में दोपहर लगभग 2 से 2.30 बजे ही सूचित किया था। हालांकि, पीडब्लू-8 का कहना है कि "यह कहना सही है कि सुबह मैंने बद्रीदास से कहा था कि किसके पास था।

उन्हें मार डाला। मैं उन्हें नहीं जानता था। "

28. इस स्तर पर, यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि अपराध की सूचना देने में एक अस्पष्टीकृत देरी हुई थी, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ द्वारा सही बताया गया है।

अपीलार्थियों के लिए वकील। पीडब्लू-8 ने अपने बयान में कहा है कि जब वह सुबह उठी तो उसके कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। जब वह अंदर से चिल्लाई तो टेकराम (अनीता) की पत्नी ने दरवाजा खोला। इस कथन की पुष्टि पीडब्लू-10, दान बाई द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा है कि सोमवार को सुबह लगभग 3 बजे अनीता ने उनके घर का दरवाजा बाहर से खोला था। बच्चे कमरे के अंदर थे। अम्रिका बाई, कोंडी, सुभद्रा बाई और श्री बाई मृत पड़े थे। हालाँकि, अनीता ने सुबह लगभग 3 बजे दरवाजा खोला था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पीडब्लू-8 ने शाम 4 बजे तक किसी को सूचित क्यों नहीं किया और पीडब्लू-10 ने भी इसकी सूचना क्यों नहीं दी, भले ही पुलिस स्टेशन लगभग छह किलोमीटर की दूरी पर था। यह पीडब्लू-8, चांदनी के बयान की सत्यता पर भी सवाल उठाता है।

29. अभियोजन पक्ष द्वारा जिस दूसरी परिस्थिति पर भरोसा किया गया है वह है

पुनर्प्राप्ति का प्रमाण। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत, यह हर तथ्य की खोज स्वीकार्य नहीं है, बल्कि केवल प्रासंगिक तथ्य की खोज ही स्वीकार्य है। यथार्थता कुछ और नहीं बल्कि

अपराध के साथ खोजे गए तथ्यों के बीच संबंध या संबंध। मोटरसाइकिल की बरामदगी को एक परिस्थिति के रूप में दिगंबर वैष्णव और ए. एन. आर. पर भरोसा करने की कोशिश की जाती है।

अपीलार्थियों के विरुद्ध। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी नं. 1 के कहने पर बरामद मोटरसाइकिल उसकी है। पीडब्लू-13, आई. ओ., अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार करता है कि उसे नहीं पता कि अपीलार्थी नंबर 1 मोटरसाइकिल का मालिक है या नहीं। वह आगे स्वीकार करता है कि उसके द्वारा वाहन के मालिक के बारे में पूछताछ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

30. पीडब्लू 4 और 5 की गवाही भी अविश्वसनीय है क्योंकि यह पीडब्लू-10 के विपरीत है। पीडब्लू-10 के अनुसार, उसने और अनीता ने मृतक के शव सुबह 3 बजे देखे थे। उसने हमलावरों को नहीं देखा और न ही मोटरसाइकिल के बारे में कुछ बताया। इसलिए, कोई अवसर नहीं है

मृतक के हमलावरों को घर में रहना चाहिए और इसलिए मोटरसाइकिल मृतक के घर के बाहर शाम 4 बजे नहीं होगी। पीडब्लू 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं। पीडब्लू-4 का कहना है कि मोटरसाइकिल बजाज कंपनी की थी, जबकि पीडब्लू-5 ने इसे हीरो होंडा की मोटरसाइकिल बताया है। कंपनी। पीडब्लू-5 ने अपनी जाँच में कहा कि उसने ट्रैक्टर को गुजरने देने के लिए मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाया था। हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में, वह कहता है कि उसने मोटरसाइकिल को नहीं हिलाया और यह पीडब्लू-4 था, जिसने इसे हिलाया था। पीडब्लू-5 उस दिन या महीने का भी उल्लेख नहीं करता है जब उसने मोटरसाइकिल देखी थी।

31. पीडब्लू-2 मोटरसाइकिल की जब्ती का गवाह था। उनके अनुसार, मोटरसाइकिल लाल रंग की थी। हालांकि, जब्ती ज्ञापन के अनुसार, बरामद मोटरसाइकिल काले रंग की थी। इससे मोटरसाइकिल की वसूली अविश्वसनीय हो जाती है। यह बताना प्रासंगिक है कि पुलिस ने दो महीने से अधिक की देरी के बाद पीडब्लू 4 और 5 का बयान दर्ज किया।

32. बरामद वस्तुओं की बात करें तो अपीलार्थियों के कहने पर बरामद की गई चांदी की पट्टी कथित तौर पर मृतक श्री बाई की थी। लेकिन, कोई भी गवाह चांदी की पट्टी की पहचान किसी भी मृतक की होने के रूप में नहीं करता है। पीडब्लू-2 का कहना है कि "जिस प्रकार की पायल जब्त की गई थी" वह बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए, जब्त किए गए पायल की किसी भी पहचान के अभाव में, इसकी बरामदगी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। राजेश वैष्णव, पीडब्लू-2, जो गवाह है, का साक्ष्य जब्ती ज्ञापन, अभिलेख पर लाए गए ज्ञापनों के विपरीत है। गवाह बयान देता है कि अभियुक्तों के बयान तीन बार दर्ज किए गए थे, यानी गिधौरी चौक, खापरीडीह और बरभठा में। इसके अलावा, उनका कहना है कि अपीलकर्ता संख्या 2 से जब्ती खार्री गांव में हुई और स्टेशन में प्रक्रिया ज्ञापन हुआ। यह जब्ती ज्ञापन के सीधे विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि बरभाठा में जब्ती हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. मृतक के पास नकदी का पता नहीं चला है क्योंकि जिस डिब्बे से कथित रूप से सामान चोरी किया गया था, वह बरामद नहीं हुआ है या नहीं।

किसी भी गवाह द्वारा देखा गया। यहां तक कि एफ. आई. आर. में भी किसी भी वस्तु या धन के चोरी होने या खो जाने का कोई सबूत नहीं है। इसलिए, जब कथित रूप से बरामद किए गए धन पर मृतक के घर से चोरी होने के रूप में भरोसा किया जा रहा है, तो यह तब भी अविश्वसनीय है जब अपराध स्थल से चोरी या डकैती के दावे का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

34. चांदनी, पीडब्लू-8 ने टेकराम की उस पत्नी (श्रीमती. अनीता) ने सुबह 3 बजे दरवाजा खोला था।

अभियोजन पक्ष और इस विसंगति को समझाने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों के विरोधाभासी बयानों को ध्यान में रखते हुए, अनीता अपीलार्थियों को सुबह लगभग 3 बजे घर पर देखने की स्थिति में होगी। वह पहली व्यक्ति होगी जिसने मृतक व्यक्तियों को देखा होगा और घटना के बाद की परिस्थितियों के बारे में गवाही दी होगी। यह भी प्रासंगिक है कि तीन अन्य बच्चे भी मौजूद थे।

35. बाल गवाह चांदनी की गवाही की पुष्टि करने के लिए सोहंदास, पीडब्लू-9 पर भरोसा किया गया है। रिलायंस को रखा गया है घर पर अपीलार्थियों की उपस्थिति दिखाने के लिए उसका गवाह। सोहानदास ने केवल अम्रिका बाई के एक टेलीफोन कॉल के आधार पर बयान दिया था कि दिगंबर कोंडी से मिलने आया है। पीडब्लू-9 को गिरधारी का नाम नहीं पता है। उन्होंने अपीलार्थी संख्या 1 के साथ एक लड़के का उल्लेख किया है, जो परिचित को दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने अपीलार्थियों को घर में आते नहीं देखा है। इसलिए, उसका साक्ष्य अपीलार्थियों को अपराध स्थल पर रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

36. विशेषज्ञ, जिन्होंने घटना स्थल पर वस्तुओं की जांच की और कुछ उंगलियों के निशान पाए, उनकी जांच नहीं की गई है। जिस व्यक्ति ने उंगली के निशान का नमूना लिया है, उसकी जांच नहीं की गई है। द.

उंगलियों के निशान 17.12.2012 पर उठाए गए थे जबकि सामान 18.12.2012 पर जब्त किए गए थे। इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उंगलियों के निशान विकसित करने के बाद वस्तुओं को घटनास्थल पर क्यों छोड़ दिया गया और उन्हें उसी दिन जब्त करके विश्लेषण के लिए क्यों नहीं भेजा गया। इसके अलावा, डकैती की पुष्टि करने के लिए दरवाजों या स्टील की अलमारी पर कोई निशान नहीं मिला है। विशेषज्ञ की जाँच विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि अपीलार्थी के अपराध पर संदेह करने के लिए फिंगर प्रिंट रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता है। पी. डब्ल्यू.-12, बोतलों की जब्ती के पंच गवाह का कहना है कि बोतल "आंगन के दरवाजे के पास पड़ी थी जिसे जब्त कर लिया गया था।" इससे प्रिंट उठाने की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है।

दिगंबर वैष्णव और एएनआर। वी. छत्तीसगढ़ राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

37. अपीलार्थी नं. 2 की कमीज उसके पास से बरामद की गई।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके बयान का कथित तौर पर अपराध स्थल पर पाए गए छोटे से टूटे हुए बटन से मिलान किया गया है। अपराध स्थल पर अपीलार्थियों की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए एक अन्य परिस्थिति के रूप में निचली अदालतों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है। हालाँकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि शर्ट अद्वितीय है और किसी अन्य व्यक्ति की शर्ट के साथ इसका मिलान नहीं किया जा सकता है। पीडब्लू-13 ने अपनी गवाही में स्वीकार किया है कि इसी तरह की शर्ट बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है कि शर्ट किसी भी तरह से 'अपीलकर्ता' शर्ट के लिए अद्वितीय हैं, बाकी सभी को छोड़कर। इसलिए, किसी भी अद्वितीय बनावट के अभाव में शर्ट के विश्लेषण के साथ रखी गई निर्भरता अनुचित है।

38. अपीलार्थियों के खिलाफ फोरेंसिक साक्ष्य उन्हें साबित करने के लिए

अपराध स्थल पर उपस्थिति अपर्याप्त है। बालों के निष्कर्ष विश्लेषण भी अनिर्णायक हैं। रिपोर्ट ने केवल मानव बालों के लिए नमूने का निष्कर्ष निकाला। वही पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है

उपस्थिति

अपीलार्थियों से।

39. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि लूट का मकसद

मृतक के व्यक्ति पर हार, चांदी के गहने आदि छोड़े गए थे। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी क्यों डकैती करने का इरादा रखते हैं लेकिन महंगे गहने पीछे छोड़ देते हैं। पूरा मकसद यदि इन तथ्यों पर विचार किया जाए तो डकैती को अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि यह असंभव लगता है कि डकैती करने के इरादे वाले व्यक्ति मृतक के व्यक्ति पर रखे कीमती गहने के बिना चले जाएंगे। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार, इससे अपराध करने के पूरे उद्देश्य की पुष्टि नहीं हुई है।

40. अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर भरोसा किया है

दिखाएँ कि अभियुक्त और पीड़ितों को आखिरी बार एक साथ देखा गया था। यह तय किया गया है कि आखिरी बार एक साथ देखी गई परिस्थिति अपने आप में नहीं बन सकती है अभियुक्त को अपराध का दोषी ठहराने का आधार। यदि कोई विश्वसनीय सबूत है कि पीड़ितों की मृत्यु से ठीक पहले या तुरंत पहले, उन्हें आखिरी बार आरोपी के साथ घटना स्थल पर या उसके पास देखा गया था, तो संदेह की सुई निश्चित रूप से आरोपी को दोषी होने की ओर इशारा करेगी और यह मजबूत कारकों में से एक होगा या

[2019] 2 एस. सी. आर. पर कथित अपराध के साथ उन्हें शामिल करने की परिस्थितियाँ।

पीड़ित। हालाँकि, यदि अंतिम बार देखा गया साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है या विश्वास के योग्य नहीं है, तो कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। एक दोषपूर्ण परिस्थिति के रूप में अंतिम रूप से देखे गए एक साथ कारक का गठन करने के लिए, मृत शरीर को देखने और बरामद करने के समय के बीच निकटता होनी चाहिए।

41. अर्जुन मारिक और ओआरएस में। वी. बिहार राज्य, 1994 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 372, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" 31. इस प्रकार यह प्रमाण कि अपीलार्थी आईडी1 की शाम को सीताराम के पास गया था और रात में मृतक सीताराम के घर पर कहा था, बहुत अस्थिर और अनिर्णायक है। भले ही यह स्वीकार किया जाए कि वे वहाँ थे, यह सबसे अच्छा सबूत होगा कि अपीलकर्ताओं को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। लेकिन यह तय कानून है कि अंतिम बार देखी गई एकमात्र परिस्थिति इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा नहीं करेगी कि यह केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है और इसलिए, अकेले उस आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है।

स्थापित किया जाए "।

42. कन्हैया लाल बनाम। राजस्थान राज्य, (2014) 4 एस. सी. सी., 715, न्यायालय ने दोहराया है कि आखिरी बार एक साथ देखा गया व्यक्ति अपने आप में आगे नहीं है। इस निष्कर्ष पर कि यह आरोपी था जिसने अपराध किया था। यह इस प्रकार आयोजित किया जाता हैः

" 12. आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति अपने आप में यह निष्कर्ष नहीं निकालती है कि यह आरोपी ही था जिसने अपराध किया था। कुछ और स्थापित होना चाहिए अभियुक्त और अपराध के बीच संबंध। बस नहीं।

अपीलार्थी की ओर से स्पष्टीकरण, हमारी सुविचारित राय में, अपने आप में अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का प्रमाण नहीं हो सकता है।

43. पीडब्लू-8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि आरोपी एक दिन पहले रात में आया था, और अगले दिन, अम्रिका, माला, बड़ी अम्मा, अम्मा और कोंडी दीदी की मृत्यु हो गई थी। वह एक बाल गवाह है। हम पहले ही देख चुके हैं कि उसने इस घटना को नहीं देखा है। पीडब्लू-1 अपने साक्ष्य में कहता है कि पीडब्लू-8 दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक उसके घर आया था और उसे मृतक व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में सूचित किया था। पीडब्लू-8 ने पीडब्लू-1 को अपीलार्थियों की पहचान नहीं बताई है। इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हमने विसंगतियों को भी देखा है इस तथ्य के अलावा कि उस दिन घर में मौजूद अन्य बच्चों की जांच नहीं की गई थी। जब से पीडब्लू-8 ने मृतक और अपीलार्थियों को दिगंबर वैष्णव और ए. एन. आर. पर एक साथ देखा, तब से समय का काफी नुकसान हुआ है।

वी. छत्तीसगढ़ राज्य [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

16.12.2012 और जब मृतक 17.12.2012 पर पाए गए। ऐसी परिस्थितियों में, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि अपीलार्थियों ने अपराध किया था।

44. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती हैं और इसकी अनुमति दी जाती है।

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा 2014 की आपराधिक संदर्भ संख्या 3 और आपराधिक अपील संख्या 1 में पारित निर्णय और आदेश। 536 2014 और 2014 के 537 को इसके द्वारा अलग रखा गया है। सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ द्वारा 2014 के सत्र मामला संख्या 5 में पारित 14.05.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश को भी खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थियों/अभियुक्तों को एतद्वारा उन अपराधों के लिए बरी कर दिया जाता है जिनके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, जब तक कि किसी अन्य मामले/मामलों में आवश्यकता न हो।

अपीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी